meil

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/मण्डी/प्रांगण/5/3/ब/पार्ट-2/अशोकनगर/1241 भोपाल, दिनांक 21/03/2025

प्रति

01. संयुक्त संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय............(समस्त)

02. कार्यपालन यंत्री,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग--------------(समस्त)

03. भारसाधक अधिकारी/सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति............(समस्त),
जिला-....................(समस्त)

विषय- मण्डी समितियो में परिसंपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया के संबंध में।

प्रबंध संचालक महोदय द्वारा प्रदेश की मण्डी समितियो में भू-खण्ड, गोदाम, सैण्ड्रीशॉप आदि के आवंटन ई-नीलामी (ई-टेंडरिंग) के माध्यम से कराये जाने हेतु वर्चुअल बैठक में निर्देश दिये गये है। कृषि उपज मण्डी(भूमि एवं संरचना आवंटन) नियम 2009 में तथा ई-नीलामी (ई-ऑक्शन) की प्रक्रिया/नियम संशोधन तथा पोर्टल निर्माण आदि की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से भूमि एवं संरचना के आवंटन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे-

(1) जिन कृषि उपज मण्डी समितियों में सम्पत्तियों के आवंटन की कार्यवाही पूर्व से प्रचलित होकर विज्ञप्ति आदि प्रकाशित हो चुकी है उन प्रकरणों में म.प्र. कृषि उपज मण्डी(भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के तहत आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न की जावे।

(2) वर्तमान वित्त वर्ष समाप्त हो रहा है ऐसी स्थिति में नवीन कलेक्टर गाईड लाईन दरें निर्धारित करने की कार्यवाही भी संबंधित विभाग में प्रचलित है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुये जिन कृषि उपज मण्डी समितियों में परिसम्पत्तियों के आवंटन की कार्यवाही प्रारभिंक स्तर पर प्रचलित है अथवा प्रारंभ की जानी है तथा विज्ञप्ति का प्रकाशन नही हुआ है उन प्रकरणों को ई-नीलामी (ई-टेंडरिंग) के माध्यम से ही किया जाना है। अतः उन्हे आगामी निर्देश तक लंबित रखा जावे। ई-नीलामी के दिशा-निर्देशों के संबंध में पृथक से सूचना प्रसारित की जावेगी।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा निर्देशित)

21/3/25

उप संचालक(प्रांगण)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मोनिका प्रांगण लेटर 127